

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- ०१ / 11-सी-FP/UP/OFC/35215/2018, लखनऊ, दिनांक: जुलाई ०७, 2023

प्रेषक,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा

विषय:- जनपद आगरा के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा आगरा-बाह-कचौराघाट (SH-62) के किमी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पटरी ग्राम अरनौटा से ग्राम कचौराघाट तक ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अन्तर्गत संयोजन हेतु आप्टीकल फाईबर डालने हेतु प्रभावित 1.395 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-5335/14-1, दिनांक 20.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश संख्या-FC-11/43/2022-FC, दिनांक 22.08.2022 के तत्क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या-3337/81-2-2022-600(60)/2000, दिनांक 07.12.2022 के अनुपालन में जनपद आगरा के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा आगरा-बाह-कचौराघाट (SH-62) के किमी० 44.700 चैनेज से 91.200 तक के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पटरी ग्राम अरनौटा से ग्राम कचौराघाट तक ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अन्तर्गत संयोजन हेतु आप्टीकल फाईबर डालने हेतु प्रभावित 1.395 हे० संरक्षित वन भूमि (पूर्व में हस्तांतरित भूमि के आर०ओ०डब्ल्यू० के भीतर) के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I) निर्गत की जाती हैं:-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	Full exemption of NPV in case of laying of underground OFC cable provided no felling of trees is involved and area proposed for diversion is outside of Protected Area as per the MOEE&CC Guideline F.No.5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & revised Guideline F.No.5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022.
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.
4	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
6	The out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
7	No labour camps shall be established on the forest land.
8	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
10	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
11	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt

	29/01/2018.
12	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
13	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:// parivesh.nic.in/).
14	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
15	ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
16	ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।
17	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
18	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
19	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
20	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
21	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
22	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
23	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
24	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
25	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।
26	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।
27	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
28	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।
29	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
30	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
31	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात

	विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
33	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

h8

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. उप वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3. प्रभागीय निदेशक, सा० वा० प्रभाग, आगरा।
4. डिवीजनल इंजीनियर, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, टैक्स भवन, आगरा।

h8 31/7/23

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

